राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : DC-2/A-3/सेल-189/842 दिनांक : 24/12/14

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी
.... राजस्थान।

विषयः– ट्रामाडोल के सम्बन्ध में।

ट्रामाडोल एक सिन्थेटिक सेन्ट्रली एक्टिंग एनालजेसिक औषधि है एवं दर्द निवारक के रूप में कार्य करता है परन्तु यह औषधि नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्लटेन्स एक्ट में अधिसूचित औषधियों में शामिल नहीं है। यह औषधि सामान्य से गम्भीर प्रकार के दर्द दूर करने में प्रभावशाली रूप से कार्य करती है। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार एन.डी.पी.एस. एक्ट में शामिल नहीं होने के कारण इस औषधि का उपयोग नशे के प्रयोजन के लिये किया जा रहा है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों से भी इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुयी है। अतः ट्रामाडोल औषधि के नशे के रूप में दुरूपयोग को रोकने के लिये यह आवश्यक होगा कि इस औषधि के क्रय–विक्रय/वितरण पर पूर्ण निगरानी रखी जावे। औषधि के दुरूपयोग को रोकने के लिये कृपया औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत सख्त कार्यवाही करें एवं की गई कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत करावें।

842
24/12/14

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः–
1. औषधि नियंत्रक–प्रथम, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया इसे विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें एवं उपरोक्त सभी अधिकारियों को ई–मेल भी करें।

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर